हरिता सुनील परब

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य और अन्य

(स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) क्रमांक 254-255 वर्ष 2017)

मार्च 28, 2018

[आदर्श कुमार गोयल, आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति]

स्थानांतरण याचिकाएँ - याचिकाकर्ता, जो मुंबई की निवासी है और मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत करती है, दिल्ली और गाजियाबाद में उत्तरदाताओं संख्या 2 से 4 के खिलाफ उसके द्वारा दर्ज की गई दो प्रथम सूचना रिपोर्ट को मुंबई में स्थानांतरित करने की मांग करती है - याचिकाकर्ता की दलील है कि उसे डर है कि जांच निष्पक्षता से नहीं हो पाएगी क्योंकि उसे आरोपी व्यक्तियों से धमकियां मिल रही हैं - माना गया: दोनों प्रथम सूचना रिपोर्टों में जांच पूरी हो गई है जो स्थानांतरण की विषय वस्तु हैं - प्रथम सूचना रिपोर्ट में से एक में आरोप पत्र से पता चलता है कि 40 गवाहों में से, याचिकाकर्ता अकेले मुंबई से है, दो गाजियाबाद से हैं और एक नोएडा से है - अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट का आरोप पत्र रिकार्ड में नहीं है लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस मामले में भी स्थिति ऐसी ही होगी - निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच या सुनवाई न होने की आशंका उचित होनी चाहिए न कि काल्पनिक, अनुमानों और अनुमानों पर आधारित - यदि याचिकाकर्ता को जांच के संबंध में कोई शिकायत है, तो इसका उपाय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संबंधित अदालत के समक्ष एक उचित आवेदन दाखिल करना है - इस स्तर पर, याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली में उसे संभावित नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है जो स्थानांतरण के लिए बहुत अस्पष्ट आधार है - जहां तक असुविधा का सवाल है, यह उनकी अपनी दलील है कि वह पेशेवर कारणों से लंबे समय से मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रही हैं - विचाराधीन मामलों को मुंबई स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है - दंड संहिता, 1860 - धारा 323, 354, 354ए, 376, 379, 420, 506 और 509 - आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 - रेलवे अधिनियम - धारा 145 (बी), 146, 137. स्थानांतरण याचिकाएँ - प्रासंगिक विचार - चर्चा की गई।

स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा:-

स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 254-255 वर्ष 2017

1.1 रिकॉर्ड से पता चलता है कि वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दोनों में जांच पूरी हो चुकी है जो स्थानांतरण का विषय है, और सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत के समक्ष अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए गए हैं। यदि याचिकाकर्ता को जांच के संबंध में कोई शिकायत है तो उसका समाधान संबंधित अदालत के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक उचित आवेदन दाखिल करना है और यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है तो संबंधित अदालत द्वारा

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कानून के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसी तरह, यदि याचिकाकर्ता को दिल्ली में अपनी शिकायतों को आगे बढ़ाने में अपनी सुरक्षा का सामना करना पड़ता है या वह आशंकित है, तो कानून के तहत उसके लिए पर्याप्त उपाय उपलब्ध हैं। ऐसा कोई भी आवेदन, यदि संबंधित अदालत या पुलिस के समक्ष दायर किया जाता है, तो उसे कानून के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। [पैरा 4,5] [736-बी-डी]

1.2 अनुमानों और धारणाओं के आधार पर निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच या सुनवाई न होने की आशंका उचित होनी चाहिए न कि काल्पनिक। स्थानांतरण याचिका पर निर्णय लेने के लिए कोई सार्वभौमिक या कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जिसका निर्णय हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर करना होगा। किसी पक्ष की सुविधा प्रासंगिक विचारों में से एक हो सकती है, लेकिन अन्य सभी विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मूल स्थान पर विशेष रूप से गवाहों की उपलब्धता, जिससे स्थानांतरण के स्थान पर मुकदमा जारी रखना लगभग असंभव हो जाता है और जिसकी प्रगति परीक्षण के स्थानांतरित स्थान पर उस कारण से स्वाभाविक रूप से बाधित होगी। पक्षों की सुविधा का मतलब केवल याचिकाकर्ता की सुविधा नहीं है जो आशंका की गलत धारणाओं पर अदालत का रुख करता है। स्थानांतरण के प्रयोजनों के लिए सुविधा का अर्थ अभियोजन पक्ष, अन्य अभियुक्तों, गवाहों और समाज के व्यापक हित की सुविधा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में से एक में आरोप पत्र से पता चलता है कि 40 गवाहों में से, याचिकाकर्ता अकेले मुंबई से है, दो गाजियाबाद से हैं, और एक नोएडा से है। अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट का आरोप पत्र रिकार्ड में नहीं है। एक उचित अनुमान यह लगाया जा सकता है कि स्थिति भी वैसी ही होगी। मुकदमे को जल्दी पूरा करना और भी अधिक कठिन हो जाता है, जिसमें अभियोजन पक्ष को आधिकारिक और गैर-आधिकारिक गवाहों की यात्रा का खर्च वहन करना पड़ता है और इन सभी के कारण अंततः मुकदमा वर्षों तक लटका रहता है। इस स्तर पर, याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली में उसे संभावित नुकसान की जो आशंका व्यक्त की गई है, वह स्थानांतरण के लिए बहुत अस्पष्ट आधार है। याचिकाकर्ता अपनी दलीलों पर पेशेवर कारणों से लंबे समय से मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रही है। दोनों मामलों को मुंबई में सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 8-11] [737-ए-एफ; 738-बी]

1.3 याचिकाकर्ता रेलवे अधिनियम की धारा 145 (बी), 146, 137 के तहत उसके खिलाफ पंजीकृत आरटीएम-सीआर-641/2017 को विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, रतलाम के समक्ष लंबित मुंबई में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करती है। इससे पहले की चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान स्थानांतरण याचिका भी खारिज कर दी गई है। [पैरा 12,13] [738-सी-डी]

गुरचरण दास चड्ढा बनाम राजस्थान राज्य [1966] 2 एससीआर 678; मृदुल एम. दामले और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली (2012) 5 एससीसी 706: [2012] 5 एससीआर

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

919; परमिंदर कौर बनाम यूपी राज्य (2007) 15 एससीसी 307: [2007] 3 एससीआर 1021 - पर भरोसा किया गया।

केस कानून संदर्भ:-

[1966] 2 एससीआर 678 पैरा7 पर निर्भर था

[2012] 5 एससीआर 919 पैरा9 पर निर्भर था

[2007] 3 एससीआर 1021 पैरा 10 पर निर्भर था

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार: स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) संख्या 254-255 वर्ष 2017

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 के तहत

साथ

स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) क्रमांक 253 वर्ष 2017

सुश्री हरिता सुनील परब (याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत)।

राणा मुखर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रंजन नारायण, टी. ए. खान, बी. वी. बलराम दास, संजय कुमार त्यागी, सुश्री प्रियंका, वी. नाथ मिश्रा, अनंत नारायण एम.जी. उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

आर. डी. उपाध्याय (व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी संख्या 2)।

न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. वर्तमान आवेदन में तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में पंजीकृत भारतीय दंड संहिता (भारतीय दंड संहिता) की धारा 354, 354 ए, 323, 506, 509 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 351 वर्ष 2016 को स्थानांतरित करने की मांग की गई है और इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के समक्ष धारा 379, 323, 376, 354, 506 420 आईपीसी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1742 वर्ष 2016 सक्षम क्षेत्राधिकार अदालत मुंबई महाराष्ट्र के समक्ष उत्तरदाताओं संख्या 2 से 4 के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर दर्ज की गई।

2. याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होती है, का कहना है कि वह मुंबई की स्थायी निवासी है और मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता है। दिनांक 15.07.2017 को संयुक्त पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत करने और पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त से मिलने के बावजूद उनके मामले की जांच नई दिल्ली के किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जा रही थी। उन्हें डर है कि जांच निष्पक्षता से नहीं हो सकेगी। उन्हें आरोपी व्यक्तियों से धमकियाँ मिल रही थीं और उन्हें दिल्ली में मामलों को आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि मुंबई में उनकी व्यावसायिक व्यस्तताएँ भी इसके कारण प्रभावित हो रही थीं।

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में जांच को मुंबई में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

3. प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रति शपथ पत्र दाखिल किया है कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालक श्री राम चंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-बी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 331 वर्ष 2016 भी दर्ज कराई है और होटल प्रिंस, पहाड़ गंज, नई दिल्ली के कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 380 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या सीडी-पीजी-000260 वर्ष 2016। स्थानांतरण याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपी और अभियोजन पक्ष के गवाह सभी दिल्ली में स्थित हैं। प्रतिवादी, जो दिल्ली में वकालत करने वाला एक वकील भी है, यदि मामलों को मुंबई स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसी तरह के कारणों से उसके पेशेवर कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी।

4. हम मामले के तथ्यों पर केवल वर्तमान आदेश के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सीमा तक ध्यान देंगे ताकि किसी भी पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। याचिकाकर्ता का प्रत्युत्तर दिल्ली में उसके द्वारा अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्थापना पर विवाद नहीं करता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दोनों में जांच पूरी हो चुकी है जो स्थानांतरण का विषय है, और सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत के समक्ष अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए गए हैं। यदि याचिकाकर्ता को जांच के संबंध में कोई शिकायत है तो उसका समाधान संबंधित अदालत के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक उचित आवेदन दाखिल करना है और यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है तो संबंधित अदालत द्वारा कानून के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर उस पर विचार किया जाना चाहिए।

5. इसी तरह, यदि याचिकाकर्ता को दिल्ली में अपनी शिकायतों को आगे बढ़ाने में अपनी सुरक्षा का सामना करना पड़ता है या वह आशंकित है, तो कानून के तहत उसके लिए पर्याप्त उपाय उपलब्ध हैं। ऐसा कोई भी आवेदन, यदि संबंधित अदालत या पुलिस के समक्ष दायर किया जाता है, तो उसे कानून के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।

6. एकमात्र बचा हुआ मुद्दा उस असुविधा के संबंध में है, जैसा कि आरोप लगाया गया है, जो याचिकाकर्ता को दिल्ली में सक्षम अदालत के समक्ष अपने मामलों को आगे बढ़ाने में हो सकती है, जिससे मुंबई में उसकी पेशेवर व्यस्तताएं प्रभावित हो सकती हैं और उसे दिल्ली की यात्रा करने की आवश्यकता हो सकती है।

7. गुरुचरण दास चड्ढा बनाम राजस्थान राज्य, (1966) 2 एससीआर 678 में, एक मामले के स्थानांतरण के मुद्दे से निपटते हुए, यह देखा गया:

"13....मामलों के स्थानांतरण के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है। यदि किसी मामले में किसी पक्ष की ओर से उचित आशंका हो कि न्याय नहीं मिलेगा तो मामला स्थानांतरित

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कर दिया जाता है। एक याचिकाकर्ता को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है कि न्याय अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगा। वह तबादले का हकदार है यदि वह ऐसी परिस्थितियाँ दिखाता है जिनसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे कोई आशंका है और कथित परिस्थितियों में यह उचित है। यह न्याय प्रशासन के सिद्धांतों में से एक है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। हालाँकि, केवल यह आरोप कि यह आशंका है कि किसी मामले में न्याय नहीं मिलेगा, उचित नहीं है। न्यायालय को आगे यह भी देखना है कि आशंका उचित है या नहीं। आशंका की तर्कसंगतता का आकलन करने के लिए उस व्यक्ति के मन की स्थिति जो आशंका को स्वीकार करती है, निःसंदेह प्रासंगिक है, लेकिन इतना ही नहीं। आशंका पर न केवल विचार किया जाना चाहिए, बल्कि न्यायालय को यह उचित आशंका प्रतीत होनी चाहिए।''

8. अनुमानों और अनुमानों के आधार पर निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच या सुनवाई नहीं होने की आशंका उचित होनी चाहिए न कि काल्पनिक। स्थानांतरण याचिका पर निर्णय लेने के लिए कोई सार्वभौमिक या कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जिसका निर्णय हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर करना होगा। किसी पक्ष की सुविधा प्रासंगिक विचारों में से एक हो सकती है, लेकिन अन्य सभी विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मूल स्थान पर विशेष रूप से गवाहों की उपलब्धता, जिससे स्थानांतरण के स्थान पर मुकदमा जारी रखना लगभग असंभव हो जाता है और जिसकी प्रगति परीक्षण के स्थानांतरित स्थान पर उस कारण से स्वाभाविक रूप से बाधित होगी। पक्षों की सुविधा का मतलब केवल याचिकाकर्ता की सुविधा नहीं है जो आशंका की गलत धारणाओं पर अदालत का रुख करता है। स्थानांतरण के प्रयोजनों के लिए सुविधा का अर्थ अभियोजन पक्ष, अन्य अभियुक्तों, गवाहों और समाज के व्यापक हित की सुविधा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 351 वर्ष 2016 में आरोप पत्र से पता चलता है कि 40 गवाहों में से, याचिकाकर्ता अकेले मुंबई से है, दो गाजियाबाद से हैं, और एक नोएडा से है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1742 वर्ष 2016 का आरोप पत्र अभिलेख पर नहीं है। एक उचित अनुमान यह लगाया जा सकता है कि स्थिति भी वैसी ही होगी।

9. मृदुल एम दामले और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो नई दिल्ली 2012 (5) एससीसी 706 में, यह देखा गया कि मुकदमे को जल्दी पूरा करना अधिक कठिन हो जाता है, जिसमें सरकारी और गैर-आधिकारिक गवाहों के यात्रा खर्चों को वहन करने के कारण अभियोजन पक्ष को अधिक खर्च करना पड़ता है और जिसके कारण अंततः मुकदमा वर्षों तक लटका रहता है।

10. हमारे विचार में, इस स्तर पर, याचिकाकर्ता द्वारा दिल्ली में उसे संभावित नुकसान की जो आशंका व्यक्त की गई है, वह स्थानांतरण के लिए बहुत अस्पष्ट आधार है। याचिकाकर्ता अपनी दलीलों पर पेशेवर कारणों से लंबे समय से मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रही है। परमिंदर कौर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2007) 15 एससीसी 307 में, यह देखा गया:

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"20. याचिकाकर्ता एक साधन संपन्न व्यक्ति है और उसके लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर की अदालत में लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई में शामिल होना मुश्किल नहीं होगा। मुकदमों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए वादी पक्षों की तुलनात्मक असुविधा ही एकमात्र मानदंड नहीं है, लेकिन अदालत को यात्रा का भुगतान करने में राज्य के खजाने पर पड़ने वाले बोझ के अलावा गवाहों को होने वाली तुलनात्मक असुविधा और कठिनाइयों की भी कल्पना करनी होगी और आधिकारिक और गैर-आधिकारिक गवाहों के अन्य खर्च, जिन्हें अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए रामपुर से दिल्ली या चंडीगढ़ तक ट्रेन से यात्रा करनी होगी, यदि मामलों को स्थानांतरित अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाता है..."

11. इसलिए, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि दोनों मामलों को मुंबई में सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसलिए स्थानांतरण याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

12. याचिकाकर्ता रेलवे अधिनियम की धारा 145 (बी), 146, 137 के तहत उसके खिलाफ दर्ज आरटीएम-सीआर-64 1/2017 को विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, रतलाम के समक्ष लंबित, मुंबई में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करती है। मुंबई में कार्यवाही में भाग लेने के लिए उनकी सुविधा और रतलाम की यात्रा करने से उन्हें होने वाली असुविधा के लिए भी इसी तरह के आधार का आग्रह किया गया है। बताया जाता है कि उसने इसी घटना के संबंध में 16.02.2017 को रतलाम में सरकारी रेलवे पुलिस के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई थी।

13. इससे पहले की चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान स्थानांतरण याचिका भी खारिज की जाती है।

दिव्या पांडे स्थानांतरण याचिका खारिज।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"